फोस्टर केयर सोसायटी

गतिविधि रिपोर्ट 2017

फोस्टर केयर सोसायटी- 29, केसर प्रकाश जनता मार्ग जे.एम.बी के सामने,
सुरजपोल, उदयपुर (राजस्थान) 313001

प्रस्तावना

''परिवार हर बच्चे का अधिकार है'' और एक बच्चे के सर्वांगीण विकास एवं सामाजीकरण हेतु परिवार और समाज दोनों का विशेष योगदान होता है । सामाजिक तोर से बच्चे के विकास का मूल आधार परिवार है और आज भी हमारे देश में कई अनगिनत बच्चे है, जो परिवार खो चुके है या परिवार के माहौल से वंचित है और जाने अनजाने अनाथालयों में रहने पर विवश है । यह सभी बच्चे परिवार में जाना चाहते है। किसी भी बच्चे को एकाकी जीवन अच्छा नहीं लगता, तो क्यों न इन्हे परिवार से जोड़ा जाये, तभी हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर पायेगे ।

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एक बालक के सर्वोच्च अधिकार और परिवार परिरक्षण की बात करता है। माननीय न्याय और अधिनियमों में विधि से संघर्षरत बच्चे और विशेष देखभाल और जरुरत की श्रेणी वाले बच्चों हेतु अलग अलग व्यवस्थायें हैं, जिन्हें सुचारू रूप से जिवंत कर बच्चों को पालन-पोषण देखभाल और संचालित राजकीय योजनाओं से जुडाव कर परिवार में विस्थापित किया जा सकता है। किशोर न्याय(बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 में पालन-पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) का उल्लेख किया गया है।

फोस्टर केयर परिचय - (हमारी यात्रा)

राजस्थान पालन पोषण देखभाल नियम 2014 में पारित हुआ लेकिन हमारी यात्रा वर्ष 2012 से अनवरत है नियम से पहले हमारी जिद्दोजहद फोस्टर शब्द से परिचितों को खोजना जहाँ उदयपुर शहर में मात्र 3 प्रतिशत लोग जानकार थे, आज नियम तदुपरांत फोस्टर केयर पर न केवल लोगो ने जागरूकता ली बल्कि उदयपुर शहर को सम्पूर्ण राज्य में पहले दर्जा दिलाया जिसमे हमारे तकनिकी सहयोग से बाल संरक्षण ईकाई द्वारा शहर में **7 बच्चों को फोस्टर केयर** में दिया गया ।

फोस्टर केयर सोसायटी एक चेरीटेबल पंजीकृत संस्था है। इसका पंजीकरण जिला उदयपुर में राजस्थान अधिनियम संख्या 28,1958 के अन्तर्गत 6 जनवरी 2017 को हुआ। पंजीकरण क्रंमाक-150/udaipur/2016-17है। फोस्टर केयर सोसायटी के दृष्टि व लक्ष्य निम्न है-

दृष्टि- VISION

बच्चों के सर्वोतम हितको सुनिश्चित करते हुए बिना किसी भेद-भाव के परिवार एवं समुदायकी सहभागिता के आधार पर समाज को एक विकासात्मक स्तर परस्थापित करना।

लक्ष्य- MISSION

- बच्चों के सर्वांगीण विकास के समस्त विकासात्मक पहलुओं पर साझा प्रयास करना।
- परिवार एवं समुदाय की सहभागिता से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार परिरक्षण इत्यादि सामाजिक विकाससे जुड़े मुद्दों पर धरातलीय कार्य करना।
- राजकीय अधिनियमों, नियमों एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
- फोस्टर केयर के सभी अनुभवों एवं उसके बेहतर क्रियान्वयन का प्रचार-प्रसार एवं शोध करना।
- संस्थागत देखरेख से बच्चों को परिवार आधारित देखरख से जोड़ना एवं परिवार परिरक्षण, पश्चातवर्ती देखरख, दत्तक ग्रहण, प्रायोजकता जैसे कार्यक्रमों में सरकारी योजनाओ का प्रचार एवं जुड़ाव का प्रयास।
- विभिन्न सामाजिक कुरूतियों के प्रति समाज में बदलाव के मंच स्थापित करना एवं विकास के समस्त राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय लक्ष्यों (The Global Sustainable Goals) के प्रति अपना सहयोग देना।

गतिविधियाँ

समुदाय के साथ फोस्टर केयर सोसायटी के सतत प्रयास...

अनगिनत बच्चे जो आज भी संस्थागत देखरख में रह रहे है और उनकी देखभाल एवं परवरिश के लिए परिवार उपलब्ध हो सकते है लेकिन माननीय न्यायिक प्रक्रियाओं और औपचारिकता के पचड़ो में बच्चे को घर नहीं ला सकते, इनमे सबसे बड़ी दुविधा हमारे कानून व्यवस्था को नहीं समझने की है । इस पर यदि नज़र डाले तो हम आसानी से समझ लेगे कि परिजन सामाजिक दबाव और अपनी प्रतिष्ठा को बरक़रार रखना चाहते है और एक अपूर्ण जानकारी उन्हें बच्चों से दूर रखे हुए है। क्यों न इनकी (समाज) समझ में इजाफा किया जाए । इन्हें आत्म सक्षम बनाया जाये तभी सुदूर बैठे बच्चे इनकी झोली में नसीब होगे। यह तमाम परिस्थितियो से सम्पूर्ण भारत वर्ष जकड़ा हुआ है । परिवार में बच्चे रह सकते है लेकिन इन्ही आशाओं को मुकाम तक पहुचने की जरूरत है। समाज में लोगो की सोच में परिवर्तन करने हेतु कुछ कदम फोस्टर केयर सोसायटी द्वारा उठाये जा रहे है। आरम्भ में बहुत ही संघर्ष की जरुरत है जो किया जा रहा है ताकि सभी बच्चों को परिवार नसीब हो सके। हमारे वर्ष 2017 के कुछ प्रयास निम्न रहे -

एकाकी जीवन से संघर्षरत महिलाओं ने लिया उचित मानसिक परामर्श-

उदयपुर की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती खांजीपीर में विभिन्न वर्ग की महिलायें एकाकी जीवन यापन करने पर विवश है ! उन्हें परिवार की प्रताड़ना के साथ साथ अपने बच्चो के जीवन यापन हेतु भी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, छोटे मोटे कामो से अपने एवं बच्चो का जीवन बसर कर रही है, यहाँ की परिस्थतियाँ माकूल नहीं है, बच्चे या तो विद्यालय छोड़ चुके है अथवा छोटे बच्चो का ख्याल रखते है या उन्हें भी माँ का हाथ बटाना पड़ता है ! इन परिस्थतियों का माँ एवं बच्चो पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है साथ ही बच्चे भी अपना भविष्य ख़राब कर रहे है फोस्टर केयर सोसायटी द्वारा **दिनांक 23 जनवरी 17**को छोटी सी वार्ता वेंडीस्वेगर(एनबीसीसी इन्टरनेशनल संस्था की उपाध्यक्ष) द्वारा हुई जिसमें स्थानीय 34 महिलाओं एवं नशे के आदतन 5 बच्चों की माताओं ने भाग लिया, एवंउन्हें उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया।

खुशियों के रंग बच्चो के संग-

खुशियाँ सभी को तब नसीब होती है जब वह भरे पुरे परिवार में हो, इन परिवार की परिकल्पनाओ से परे परिवार से पृथक कई बच्चे शहर के मध्य स्थित मदर तेरेसा होम में रहते है ! सभी सुविधाओं से युक्त यह होम बहुत ही अच्छा एवं व्यवस्थित है परन्तु परिवार नहीं है, होम बुरे नहीं है ! परन्तु वहां पापा का प्यार नहीं है, माँ की दुलार नहीं है, भाई-बहन की नोक झोंक नहीं है ! ऐसी परिस्थतियों में बच्चे खुश तो है लेकिन अपनों की परिभाषा से कोसो दूर है

फोस्टर केयर का सबसे बड़ा लक्ष्य यही साध्य होता है, जहां इन मासूमो को भी परिवार नसीब हो इसी प्रयोजन से **फोस्टर केयर सोसायटी** ने बीड़ा उठाया और अब तक फोस्टर केयर सोसायटी ने न सिर्फ विस्तृत ज्ञान हासिल किया इसमें महारत हासिल कि बल्कि इस दिशा में आमूलचूल परिवर्तन हो सके और समाज इस दिशा में आगे सोच सके इस हेतु विशेष प्रयास किये औरअनवरत कर रहे है, जिससे समाज में जाग्रति आए और बच्चे परिवार आधारित देखरख में जा सके

मदर टेरेसा एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो सदैव बच्चों को परिवार आधारित व्यवस्था में देखना चाहता है यही सपना भी माननीय मदर टेरेसा का था। इसी क्रम में **दिनांक 26 जनवरी** फोस्टर केयर सोसायटी के सभी सदस्यगण एव इस सोच से जुड़े सक्रिय साथियों ने होम के बच्चो के साथ गणतंत्र दिवस मनाया इस महतवपूर्ण दिवस पर बच्चों के साथ रोचक खेल हुए जिनमे संख्या जोड़ो, परिचय दो, कविता एवं मुखाभिनय, एवं एकल प्रस्तुतियाँ दी बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया और बच्चे खूब थिरक थिरक कर नाचे। फोस्टर केयर सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा बच्चों को अल्पाहार दिया गया। इस गतिविधि और आयोजन का उद्देश्य बच्चों में सृजनात्मक विकास करना।

आत्मनिर्भर बनने के लिए पढाई जरुरी - माननीय न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय उदयपुर

24 जनवरी 2017 को आयोजित बालिका दिवस पर राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में फोस्टर केयर सोसायटी व पोषक परिवार को भी आंमत्रित किया गया। पोषक परिवार जिन्होनें एक बालिका को प्राथमिकता दी और उसे पोष्य बच्चे के रूप में लिया। उक्त तस्वीर

में आप देखेंगे जिसमे एक फोस्टर पिता ने कार्यक्रम में अपने अनुभव व भावनाओ को बताते हुए कहा की ***"ये मेरी तक़दीर है की मुझे सरकारी विभागों के साथ साथ फोस्टर केयर सोसायटी के सहयोग और मार्गदर्शन में एक पुत्री के पिता बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । इस काम के लिये मैं आगे बढकर आया इसी तरह सभी लोगो को अचछी सोच रखनी चाहिए"***। बालिका को प्राथमिकता देवें तथा एक कन्या का पिता व माता बनने का सोभाग्य प्राप्त करें।

दिनांक -**24 जनवरी** 2017 को अंतरास्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम में फोस्टर केयर सोसायटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव सहित सभी सदस्यों ने भाग लिया मुख्य अतिथि के तौर पर जिला एवं सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बतोर अपने शब्दों में कल्पना चावला का जिक्र किया और उदाहरनार्थ कई महिलाओं एवं बेटियों (भक्ति शर्मा) तैराक के बारे में कहा और उपस्थित सभी बालिकाओं को पढाई की और विशेष ध्यान हेतु कहा । मुख्य उदबोधन में फोस्टर केयर सोसायटी के सचिव देवाशीष मिश्रा जी ने सभी को दत्तक ग्रहण एवं पालन-पोषण (फोस्टर केयर) के बारे में बताया और फोस्टर केयर सोसायटी से सभी को परिचित करते हुए अनुरोध किया की अधिक से अधिक बच्चों को परिवार में होने चाहिए और होम अंतिम विकल्प होना चलिए इस अवसर पर बाल कल्याण समिति,ने भी अपने विचार रखे ।कार्यक्रम के अंत में 8 वर्षीया बालिका को पालन- पोषण देखभाल के तहत उदयपुर की सुश्री चारूलता शर्मा के परिवार में स्थानन किया गया जिसे सभी ने सराहा और फोस्टर केयर के इस प्रयास को और बेहतर बनने में सहयोग के इच्छा जताई।

फोस्टर केयर सोसायटी द्वारा पालन-पोषण देखभाल का प्रचार प्रसार

सोसायटी व्यक्तिगत रुप से जो भी संभव हो उस अनुरूप लोगो से मिलकर उन्हे फोस्टर केयर के सम्प्रत्यय को समझाती है तथा नियम लाने की आवश्यकता क्यों पडी इसके बारे में जागरूक करती है। साथ ही साथ दत्तक ग्रहण व फोस्टर केयर के अंतर को विस्तार से समझाती है।

परिवारों का मूल्यांकन-

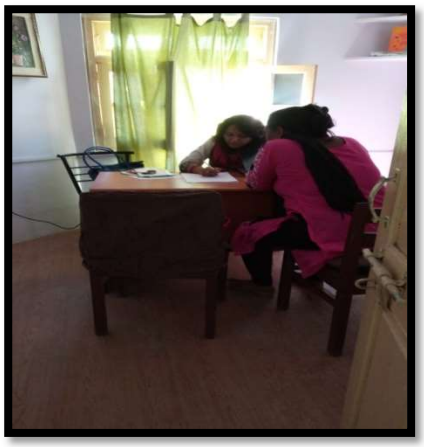

उदयपुर में वर्ष 2014 से 2017 तक 7 पोष्य बालक-बालिकाओ का स्थानन हो चुका है। इन बालक-बालिकाओ में 9 माह से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों का स्थानन हुआ। स्थानन के पश्चात से ही संस्था नियमित रूप से प्रतिमाह पोषक देखभालकर्ताओ व पोष्य बच्चों का पर्यवेक्षण कर रही है। पर्यवेक्षण के दौरान फोस्टर केयर सोसायटी बच्चे के सर्वांगीण विकास के

साथ साथ फोस्टर केयर नियम से संबधित प्रक्रियाओं से समय समय पर पोषक देखभालकर्ताओ को अवगत कराने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। फोस्टर केयर में जिन बच्चों का स्थानन किया जाता है वे बच्चे पूर्व स्मृति को अपने मन में लिए आते है इस कारण उन बच्चों में व्यवहार संबधी समस्याएँ होना स्वाभाविक होता है। इन समस्याओ से पोषक देखभालकर्ता व पोष्य बच्चों के बीच शुरुआत के समय से ही समायोजन संबधी कठिनाई आती है। इन कठिनाईओ के कारण पोषक देखभालकर्ताओ को मानसिक संबल व परामर्श देने की आवश्यकता होती है । इस हेतु फोस्टर केयर सोसायटी हर क्षण सहयोग करती है जिससे परिवार समर्थित महसुस करे व धेर्य रखकर बच्चों का पालन-पोषण करें।

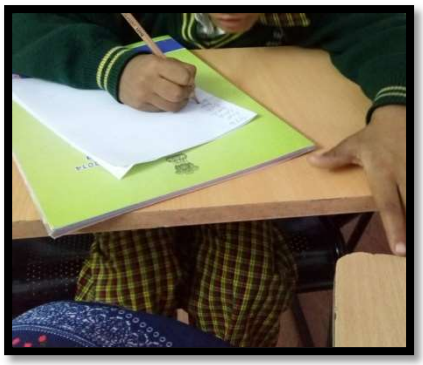

संबधित विभागो को तकनीकी सहयोग

फोस्टर केयर सोसायटी द्वारा जब प्रतिमाह पर्यवेक्षण किया जाता है तो उस समय कई समस्याएं सामने आती है। सामान्य समस्याओ को परामर्श से दूर कर दिया जाता है लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ ऐसी होती है जिन्हे समय पर विभाग को अवगत करवाना आवश्यक हो जाता है।वर्तमान में दो पोष्य बच्चो की समस्याओ को संस्था ने संबधित विभागो को अवगत करवाया। सोसायटी ने विभागो के सदस्यो के साथ मिलकर इन समस्या का उचित समाधान निकालकर उसको दूर करने का प्रयास किया।

जरूरतमंद बच्चों के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में खुलने वाले राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के उद्घाटन में फोस्टर केयर सोसायटी का उद्बोधन

दिनांक 21 फरवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्दायलय मे आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम परिवार सशक्तिकरण- वर्तमान विधाई खाके में वैकल्पिक दस्तुर विषय पर एक अन्तराष्ट्रिय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें इस क्षेत्र से जुडे विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस संगोष्ठी मे फोस्टर केयर विशेषज्ञ के रूप में उदयपुर जिले मे रजिस्टर्ड फोस्टर

केयर सोसायटी कि अध्यक्षा डॉ शिल्पा महता ने भी भाग लिया।राजस्थान के उदयपुर जिले में चल रहे पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम (फोस्टर केयर) के बारे में डॉ शिल्पा महता ने विस्तृत जानकारी दी।उन्होनें इस कार्यक्रम के दौरान आई चुनौतियों एवं उपलब्धियों को भी साझा किया। इसी क्रम में उदयपुर जिले से निमंत्रित पोष्य परिवार ने भी फोस्टर केयर पर अपने अनुभव प्रस्तुत किए। पोषक माता ने कहा की "***फोस्टर केयर सरकार द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मुझे लगता है यदि हरएक परिवार एक बच्चा फोस्टर केयर में लेगा तो भारत मे एक भी अनाथ व परित्यक्त बच्चा नहीं रहेगा। गैर सरकारी संस्थाएँ फोस्टर केयर कार्यक्रम के लिए बहुत कार्य कर रही है हम एक आम आदमी के रूप में कम से कम एक बच्चे कि जिन्दगी को बदल सकते हैं यह कोई कठिन कार्य नहीं है उसके लिए सिर्फ बडा व प्यारभरा दिल कि जरूरत है। अगर मैं एक एकल माता होकर फोस्टर केयर में एक बच्ची ले सकती हूँ तो मैं सोच सकती हूँ कि दूसरे परिवार भी ऐसा कर सकते है"।***

"फोस्टर केयर (पालन-पोषण देखभाल) सबसे बेहतर विकल्प"- क्यों एक अनाथ बच्चा संस्थागत देखरेख में रहे, बच्चों को अनाथालयों(संस्थानो) से घर लाया जा सकता है, मामूली सी औपचारिकताओ मात्र से एक बच्चा परिवार में रह सकता है- हमारे किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बच्चों के लिए अनाथालय सबसे अंतिम विकल्प होना चाहिए और परिवार आधारित देखभाल-गैर संस्थागत वैकल्पिक देखभाल सबसे पहले प्रयास होने चाहिए।दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में फोस्टर केयर के उद्बोधन से प्रेरित होकर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के व्याख्याता व विद्यार्थि उदयपुर जिले में गैर संस्थागत वैकल्पिक देखभाल पर आमुखीकरण के लिए आए। कार्यक्रम में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से व्याख्याता सुफिया जी ने फोस्टर केयर के कार्यो को विस्तृत रूप से समझने एवं धरातलीय अनुभव को साझा करने एवं परिवारों से मिलकर विस्तृत रूप से जानने पर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान एक फोस्टर पिता ने कहा कि ***"बदलाव हमारे अन्दर से होना चाहिए बच्चा स्वंय परिवार में नहीं रहता बल्कि परिवार बनाता है, बच्चे से ही परिवार है अतः समाज को आगे आना चाहिए"।***

बाल अधिकारिता विभाग जयपुर में आयोजित बैठक में फोस्टर केयर सोसायटी की भागीदारी

बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जारी वर्ष 2014 में जारी राजस्थान पालन पोषण(फोस्टर केयर) नियम 2014 के स्थान पर भारत सरकार द्वारा फोस्टर केयर दिशा-निर्देश 2016 को राज्य में क्रियान्वित किए जाने के संबध में उपनिदेशक सारा की अध्यक्षता में दिनांक 2 मार्च 2017 को जयपुर में बैठक आयोजित की गई।इस

बैठक में सोसायटी के सदस्यो ने भाग लिया।

प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम आपरेशन संवेदना में फोस्टर केयर सोसायटी का सहयोग

शहर के प्रमुख चौराहो और पर्यटक स्थलों पर बाल याचकों को बहुतायत संख्या में सुबह-शाम देखा जाता है। प्रशासन ने भी इन्हे संरक्षण देने के लिए आपरेशन संवेदना अभियान चला रखा है।जिला कलेक्टर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत बाल कल्याण अधिकारिता विभाग मानव तस्करी विरोधी युनिट, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, बाल सुरक्षा नेटवर्क, एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भिक्षावृति में लिप्त बालयाचकों को संरक्षण में लिया गया।प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के अन्तर्गत फोस्टर के सोसायटी के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी।इस अभियान मे 35 बाल याचको को बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में लिया।

राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेसी से संपर्क एवं अनुभव साझा -

पोष्य बच्चों के महत्वपूर्ण द्स्तावेजो जैसे आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के संबध में सोसायटी ने विभाग के सदस्यो से बातचीत की। इस मुद्दे को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हुए विभाग ने इस पर तुरन्त कार्यवाही की।आधार कार्ड के लिए राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेसी में ही केम्प लगवाया तथा जन्म प्रमाण बनवाकर पोषक देखभालकर्ताओ को सुपुर्द किये।

उदयपुर के एक बाल गृह मे ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन

उदयपुर के मदर टेरेसा होम में फोस्टर केयर सोसायटी की और से ग्रीष्मकालीन शिविर का आगाज हुआ। शिविर का मुख्य उद्धेश्य संस्था में रह रहे बच्चों एवं देखभालकर्ताओ को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से इन बच्चों में छिपे हुए कौशल की पहचान करना उनके आत्मविश्वास को बढावा देना और उनके व्यक्तित्व को निखारना था। प्रशिक्षण में बच्चों को निम्न गतिविधियों पर प्रशिक्षण दिया गया जैसे ओरिगेमी, चित्रकारी, मानसिक विकास के खेल, व्यक्तित्व निखार पर कार्यशाला जिसमें बच्चों को अलग-अलग प्रकार की हेयर स्टाइल बनना, बालों की देखभाल, त्वचा की देखभाल व बच्चों कि हेयर कटिंग, तथा नृत्य सिखाने का प्रशिक्षण दिया।

आशाधाम में रह रही दो माताओ की मानसिक स्वास्थय जाँच हेतु बाल कल्याण समिति को सहयोग

होम मे रह रहे दो बच्चों कि भावी पोष्य बच्चे बन सकने कि पहचान करने के संदर्भ में आशाधाम में रह रही ऐसी ही दो विंमदित माताओ की मानसिक जाँच में फोस्टर केयर सोसायटी के सदस्यों ने बाल कल्याण समिति के आदेश पर दिया सहयोग। आशाधाम के कार्यकर्ताओ के साथ मिलकर फोस्टर केयर सोसायटी के सदस्यों ने राजकीय अस्पताल जाकर मानसिक जाँच करवाने का कार्य किया। जाँच के उपरान्त उन माताओ कि रिपोर्ट में यह ज्ञात हुआ कि माता वर्तमान में उन बच्चों को पालने में असक्षम है।

छतीसगढ़ राज्य से बांटे गैर संस्थागत वैकल्पिक देखभाल पर अनुभव

दिनांक 7 दिसंबर, छतीसगढ़ राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समेकित बाल संरक्षण विभाग के आला अधिकारीयों का दल दो दिवसीय आमुखीकरण एवं जमीनी अनुभवों के विशेष प्रयोजन हेतु उदयपुर पहुंचा। **फोस्टर केयर सोसायटी की अध्यक्षा डॉ. शिल्पा मेहता**, **उपाध्यक्ष राजेश शर्मा** ने गैर संस्थागत वैकल्पिक देखभाल पर संस्थान के जमीनी कार्यों का अनुभव साझा किया और वर्तमान में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के राजस्थान सरकार के प्रयासों एवं सामाजिक एवं बाल कल्याणकारी योजनाओ जिसमे पालनहार, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनाओं इत्यादि की विशेष महत्वता बताई साथ ही समुदाय से जुड़े कार्यों जिसमे परिवार परिरक्षण, प्रायोजकता एवं पश्यातवर्ती कार्यक्रमों से परिवार आधारित देखरेख से जुड़े बच्चों एवं उनकी एकल पालनहार माताओं पर प्रभावों के अनुभव उदाहरण प्रस्तुत किये ।राजस्थान में उदयपुर की फोस्टर केयर सोसायटी, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेंसी तथा बाल कल्याण समिति, उदयपुर के संयुक्त प्रयासो से वर्तमान में 7 बच्चों को फोस्टर केयर(पालन-पोषण देखभाल) देखभाल नियम 2014 के अन्तर्गत परिवार में स्थानन किया गया। इस आमुखीकरण कार्यक्रम में **बाल अधिकारिता विभाग कि सहायक निर्देशिका मीना शर्मा, बाल कल्याण समिति सदस्य राजकुमारी भार्गव व सुशील दशोरा, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेंसी की अध्यक्षा वीना मेहरचंदानी** ने अपने कार्यो के अनुभव टीम के साथ साझा किये।

जिला बाल संरक्षण ईकाई उदयपुर कि अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फोस्टर केयर सोसायटी को निमंत्रण

कार्यालय सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग कि ओर से आयोजित जिला कलेक्टर व अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण ईकाई उदयपुर की अध्यक्षता में समेकित बाल संरक्षण योजनात्गर्त जिला बाल संरक्षण ईकाई,

उदयपुर की जिला स्तरीय बैठक 19 दिसंबर को आयोजित की गई।इस मिटिंग में फोस्टर केयर सोसायटी को भी निमंत्रित किया गया। इस मिटिंग के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओ में समेकित बाल संरक्षण योजना की जानकारी, बाल श्रम, भिक्षावृति से जुडे मुद्दो पर चर्चा व आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई।

पोष्य बालिका को हुआ नवीनीकरण

उदयपुर जिले में 24 जनवरी 2017 को एकल महिला पोषक देखभालकर्ता ने एक 6 वर्ष की बालिका को पालन-पोषण देखभालकर्ता के अन्तर्गत लिया। पोष्य बालिका की स्थानन अवधि 6 माह तक के लिए थी। पुनः 6 माह के लिए पोषक देखभालकर्ता को पोष्य बालिका दी गई। 6 माह के पश्चात जनवरी 2018 में बाल कल्याण समिति द्वारा पुनः समीक्षा की गई। फोस्टर केयर सोसायटी की ओर से पोष्य बालिका के 6 माह के भीतर हुए विकास व विकास में आई व्यवहारगत समस्या व पोषक देखभालकर्ता के समस्याओ को दूर करने के प्रयास की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर बाल कल्याण समिति व राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेंसी के समक्ष पेश की गई। बाल कल्याण समिति ने स्वंय के निरिक्षण व फोस्टर केयर सोसायटी की रिपोर्ट को देखकर पोष्य बालिका की पुनः 6 माह के लिए स्थानन अवधि बढाई गई।

फोस्टर केयर सोसायटी के सदस्यो द्वारा बाल अधिकारिता विभाग में हुई विजिट

फोस्टर केयर सोसायटी के सदस्यो ने बाल अधिकारिता विभाग के निदेशक जे. आर .देसाई जी से मुलाकात की। फोस्टर केयर सोसायटी द्वारा किए गए कार्यो कि रिपोर्ट बताई गई। देसाई जी ने फोस्टर केयर सोसायटी द्वारा किए गए कार्यो की प्रशंसा की गई।

शिव पब्लिक विद्यालय के प्राचार्य ने किया चीफ गेस्ट के रूप में किया आमंत्रित

26 जनवरी 2018 गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर शिव पब्लिक विद्यालय के प्राचार्य विनय जी ने फोस्टर केयर सोसायटी की अध्यक्षा को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। सभी बच्चों ने अपनी अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कार्यक्रम को ओर अधिक रोचक बना दिया। फोस्टर केयर सोसायटी के लिए यह गर्व की थी कि किसी विद्यालय में

जाकर गणतंत्र दिवस पर ध्वजा रोहण करना। डॉ शिल्पा महता जी ने बच्चों को गणतंत्र दिवस कि शुभकामनाएँ देते हुए बच्चों को भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया ताकी वे जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो।

उदयपुर जिले में चल रहे भिक्षावृति उन्मुलन में फोस्टर केयर सोसायटी कि भागीदारी

उदयपुर जिले में 16 फरवरी को राजस्थान विद्यापीठ में आयोजित बैठक मे फोस्टर केयर सोसायटी के सदस्यो ने भाग लिया। बैठक का मुख्य विषय गुमशुदा नाबालिक बच्चों द्वारा भिक्षावृति के उन्मुलन हेतु विशेष अभियान के संबध में था। इस बैठक में आगामी कार्य योजना बनाई गई।यह निश्चित किया कि शनिवार व बुधवार को सभी के सहयोग से भिक्षावृति में लिप्त बच्चो को संरक्षण में लिया जा सकता है। भिक्षावृति उन्मुलन के लिए दिनांक 17 फरवरी व 21 फरवरी को हुए रेस्क्यु आपरेशन में फोस्टर केयर सोसायटी के सदस्यो नें बढ चढ कर अपनी भागीदारी दी। यह रेस्क्यु आपरेशन उदयपुर जिले के उदियापोल, हाथीपोल, सहेलियो कि बाडी, बोहरा गणेश जी, दुधतलाई, गुलाबबाग, सुखाडिया सर्कल आदि पर किया गया। कुल 24 बच्चों को संरक्षण में लिया गया।रेस्क्यु आंपरेशन में फोस्टर केयर सोसायटी के सदस्यो के साथ मानव तस्करी युनिट, चाइल्ड लाइन, संबधित थानेधिकारी, महिला कान्सटेबल सहित अन्य संस्था के सदस्यों ने अपनी भागीदारी दिखाई।

सेरी(चिल्डरन्स ईमरजेन्सी रीलिफ इन्टरनेशनल) के एडवोकेसी-साउथ एशिया के निदेशक इअन आन्नद फोरबर प्रैट की उदयपुर विजिट

दिनांक 26 फरवरी 2018 को सेरी (चिल्डरन्स ईमरजेन्सी रीलिफ इन्टरनेशनल) साउथ एशिया के एडवोकेसी के निदेशक इअन जी ने फोस्टर केयर सोसायटी के एक मार्गदर्शक के रूप में आये।इअन जी गैर संस्थागत वैकल्पिक देखभाल के विशेषज्ञ है। उन्होने उदयपुर में पालन-पोषण देखभाल पर हो रहे कार्य के बारे में

जानकारी ली।साथ ही उन्हे उदयपुर में कार्य करने के दौरान आ रही चुनोतियो से भी अवगत कराया। टीम ने बताया कि वर्तमान में उदयपुर जिले के साथ-साथ अन्य दो जिलो चितौडगढ व बांसवाडा में भी फोस्टर केयर सोसायटी सरकारी विभाग को सहयोग दे रही है। उदयपुर में अभी तक 7 बच्चो को पालन-पोषण देखभाल के अन्तर्गत परिवारों में दिया जा चुका है। इस कार्यक्रम को अधिक आगे बढाने के लिए टीम को कई सुझाव दिए। फोस्टर केयर सोसायटी द्वारा उदयपुर में हो रहे कार्य की प्रंशसा करते हुए टीम को आगे बढने की प्रेरणा दी।

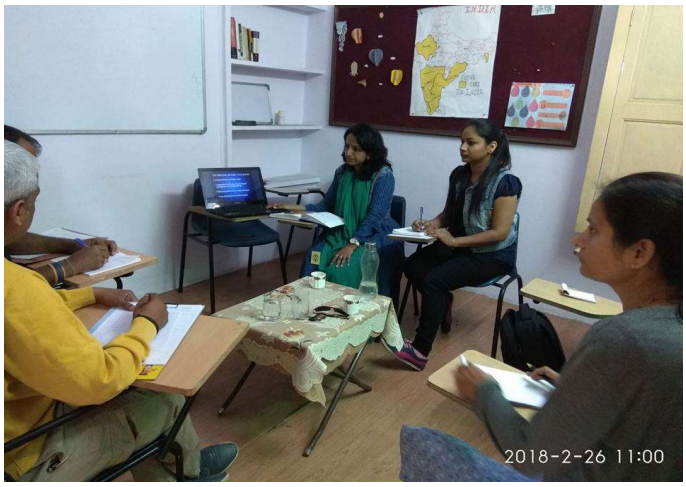

पोष्य बालक के व्यवहारगत समस्या को सुधारने के लिए पोषक देखभालकर्ता का लिया परामर्श सत्र

पोषक देखभालकर्ता को पोष्य बालक को लेकर आ रही व्यवहारगत समस्या को फोस्टर केयर सोसायटी ने गंभीरता से लेते हुए पोष्य बालक के भविष्य के लिए कई कार्य किए। इअन जी को पोषक देखभालकर्ता व पोष्य बालक में आ रही समस्या से अवगत कराया। पोषक देखभालकर्ता व पोष्य देखभालकर्ता दोनो का अलग से परामर्श सत्र लिया गया। पोषक देखभाल कर्ता को पोष्य बालक के भविष्य को लेकर तीन-चार बातो का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। पोषक देखभालकर्ता को कहा गया बालक कि समस्या को देखते हुए परवरिश में बदलाव किया जाए। पढाई के साथ साथ अन्य गतिविधि में उसे लगाया जाए। बच्चे पर अपना पुरा ध्यान लगाया जाया। बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए अपने आस पास के वातावरण को बदलने के लिए घर को बदला जाए। ये सभी बाते पोष्य बालक में बदलाव ला सकती है।

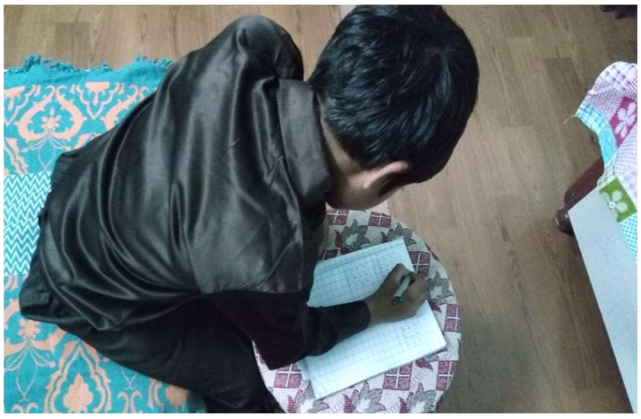

फोस्टर केयर सोसायटी ने विद्यालय में बच्चो में स्वंय की जागरूकता लाने की किया एक प्रयास

ऊँची सोच ऊची उडान बच्चों के सपने उनकी आंकक्षा हमारी सोच से कही परे है। बच्चों को यदि सही हाथो से संवारा जाये तो एक अच्छे और स्वस्थय समाज की कल्पना करना अतिशयोक्ति नहीं होगा।दिनांक को फोस्टर 2018 फरवरी 23 केयर सोसायटी द्वारा शिव पब्लिक विद्यालय में बालिकाओं को-के बालक 7-6 कक्षाकोमल एक संक्षिप्त फिल्म दिखाकर अच्छा स्पर्श (गुड टच) व बुरा स्पर्श (बेड टच) के बारे में बता कर बाल संरक्षण के मुद्दो पर जानकारी दी। साथ ही साथ बच्चों को चाइल्ड लाइन के नम्बर का प्रयोग क्यों 1098 बालिकाओं को बाल संरक्षण के मुद्दो कि जानकारी देने के -व कब किया जाए की जानकारी दी। बालक पश्चात उनके लिए सामुहिक चार्ट मेंकिग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे सभी बच्चों ने अपनी समझ से सामाजिक मुद्दों को चित्र के माध्यम से बताकर अपनी काबिलियत दिखाई। प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय आने वाले बच्चों के समुहों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिया साथ ही उन सभी बच्चों को जिन्होने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उन्हे भी भेंट देकर प्रोत्साहित किया गया।

बाल कल्याण समिति, चितौडगढ ने किया फोस्टर केयर सोसायटी को निमंत्रित

बाल कल्याण समिति, चितौडगड ने बनाया फोस्टर केयर सोसायटी को प्रायोजकता एवं पालन-पोषण देखभाल स्वीकृति समिति(एस.एफ.सी.ए.सी) में एडवाइजरी सदस्य बनने के लिए निमंत्रित किया जहाँ 4 भावी पोषक देखभालकर्ताओ के बारे में बातचीत की गई। वार्तालाप में

एस.एफ.सी.ए.सी समिति में एडी.आई.सी.पी.एस, जे.जे.बी सदस्य, बाल कल्याण समिति सदस्य, बाल संरक्षण अधिकारी और फोस्टर केयर सोसायटी के सदस्य मौजुद थे। सरकारी स्टेकहोल्डर्स चितौडगढ जिले में फोस्टर केयर कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के लिए तत्परता से फोस्टर केयर सोसायटी का सहयोग लेकर कार्य कर रहे है।

पोषक देखभालकर्ताओ के साथ रह रहे पोष्य बच्चो की स्थानन अवधि बढाने की प्रक्रिया में संस्था का सहयोग

फोस्टर केयर सोसायटी द्वारा जो प्रतिमाह पर्यवेक्षण किया जाता है उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट पोष्य बच्चे की स्थानन अवधि बढाने के दिनांक के दिन राजकीय विशेषज्ञ द्तक ग्रहण ऐजेंसी व बाल कल्याण समिति को दी जाती है। इस प्रोगेस रिपोर्ट को देखकर व स्वयं के मूल्याकंन पर बाल कल्याण समिति पोष्य बालक-बालिकाओ की स्थानन अवधि बढाती है। अब तक हुए स्थानन व स्थानन अवधि बढने का संक्षिप्त विवरण निम्न है-

पोष्य बच्चे की संख्या	*पोष्य बच्चे की स्थानन उम्र*	*पोष्य बच्चे की स्थानन दिनांक*	*नवीनीकरण दिनांक-1*	*नवीनीकरण दिनांक-2*	*नवीनीकरण दिनांक-3*
पोष्य बालिका-1	2 वर्ष 6 माह	29 जुलाई 2015	29-1-2016 (छः माह पश्चात)	28-7-2016 (छः माह पश्चात)	29-7-2017 (एक वर्ष पश्चात)
पोष्य बालक-2	1 वर्ष 6 माह	10 अगस्त 2015	12-2-2016 (छः माह पश्चात)	12-8-2016 (छः माह पश्चात)	12-8-2018 (दो वर्ष पश्चात)
पोष्य बालक-3	4 वर्ष	8 जनवरी 2016	8-7-2016 (छः माह पश्चात)	8-7-2017 (एक वर्ष पश्चात)	
पोष्य बालिका-4	1 वर्ष 6 माह	3 फरवरी 2016	3-8-2016 (छः माह पश्चात)	3-1-2017 (छः माह पश्चात)	2-7-2017 (एक वर्ष पश्चात)
पोष्य बालिका-5	8 वर्ष(लगभग)	24 जनवरी 2017	24-7-2017 (छः माह पश्चात)	-	-
पोष्य बालिका-6	3 वर्ष 8 माह	24 जून 2017	24-11-2017 (छः माह पश्चात)	-	-
पोष्य बालक-7	8 माह	21 नवम्बर 2017	-	-	-

एक नजर...

क्र.स.	***गतिविधि (2017 से अब तक)***	***आँकडे***
1	फोस्टर केयर पर जागरूकता	200 से अधिक
2	फोस्टर केयर पर इन्क्वायरी (उदयपुर व अन्य जिलो समेत)	लगभग 50
3	भावी पोष्य बालक-बालिकाओ की पहचान	12
4	फोस्टर केयर में स्थानन	3 (जनवरी 2017 से जनवरी 2018 तक)
5	फोस्टर देखभालकर्ता व पोष्य बच्चों के पर्यवेक्षण की संख्या	7 परिवार
6	फोस्टर केयर के क्रियान्वयन में अन्य जिलो को सहयोग	2 जिले 1-बांसवाडा 2. चितौडगढ

Fwd: Invitation: National Symposium on "Family Strengthening: Deconstructing Alternative Practices in the Current Legislative Framework" on the 21st February 2017

Shilpa Mehta <shilpa.mehta75@gmail.com> Sat, Feb 18, 2017 at 8:10 PM
To: anurag mehta <vatsaanujuju@gmail.com>

---------- Forwarded message ----------
From: "Seema Naaz" <seemanaaz01@gmail.com>
Date: 09-Feb-2017 1:30 pm
Subject: Invitation: National Symposium on "Family Strengthening: Deconstructing Alternative Practices in the Current Legislative Framework" on the 21st February 2017
To: <shilpa.mehta75@gmail.com>
Cc: "Ian Anand Forber-Pratt" <ianforberpratt@gmail.com>

Dear Ms. Shilpa Mehta,

The Centre for Early Childhood Development & Research at Jamia Millia Islamia is a Save the Children supported centre working in the area of early childhood development. The Centre offers a Ph.D & M A in Early Childhood Development and also conducts cutting edge research in the relevant areas of ECD. Recently, the Centre has ventured in the area of alternative care and one of the main outcomes of this initiative is the establishment of a National Resource Centre for Foster Care to support the government institutions and other civil society organisations in operationalizing foster care in India. Some ground work has been initiated in this regard and we are looking forward to working intensely with the District Child Protection Units in Delhi to start with.

We are also committed to creating a favourable environment for enhancing foster care in India. Towards this, we are organizing a National Symposium on "*Family Strengthening: Deconstructing Alternative Practices in the Current Legislative Framework*" on the 21st February 2017 wherein prominent practitioners and academics would deliberate on the recent development in the field of alternative care.

I write this to request you to kindly agree to participate along with the Foster family in the symposium and share your experiences with us on the **21st February 2017 at 3:00 pm at the FTK CIT Conference Hall, Jamia Millia Islamia, New Delhi. You are requested to kindly book the train tickets (3 tier AC) and the university would be happy to reimburse the same** (please note we may not be able to reimburse in cash and the mode of payment could be cheque/NEFT).

Your support at this juncture would greatly enthuse the team to work towards quality alternative care

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरीपथ सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

यू.ओ.नोट

विषयः–फोस्टर केयर दिशा–निर्देश, 2017 को लागू किये जाने के संबंध में बैठक के कम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 की पालना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के डी.ओ. कमांक 14–5/2015-CW-II दिनांक 11 नवम्बर 2016 द्वारा **मॉडल फोस्टर केयर दिशा–निर्देश, 2016** तैयार कर द्वारा जारी किये जा चुके है।

विभाग द्वारा जारी वर्ष 2014 में जारी राजस्थान पालन–पोषण (फोस्टर केयर) नियम, 2014 **के स्थान पर** भारत सरकार द्वारा फोस्टर केयर दिशा–निर्देश, 2016 को राज्य में कियान्वित किये जाने के संबंध में उपनिदेशक, सारा की अध्यक्षता में **दिनांक 02 मार्च 2017 को समय 11:00 से 1:00 बजे** बैठक कर आयोजित की गयी है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा जारी **मॉडल फोस्टर केयर दिशा–निर्देश, 2016 के कियान्वयन में प्रगति** सुनिश्चित हो सके।

28/02/2017

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ ( ) (14) बाअवि./2016/60487-98
जयपुर, दिनांक: 28-02-2017

1. उपनिदेशक, सारा, मुख्यावास।
2. अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह, अजमेर/उदयपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/
3. श्री दिनेश कुमार, बाल संरक्षण सलाहकार, यूनीसेफ, राजस्थान।
4. श्री देवाशीष, फोस्टर केयर इण्डिया एवं सोसायटी, उदयपुर।
5. कार्यक्रम अधिकारी,यूनीसेफ, बाल अधिकारिता विभाग।